**290 2 नए सीएसआर और सम्पोषणीयता संबंधी दिशा–निर्देशों के तहत उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और पुनर्वास कार्यकलाप।**

मुझे उत्तराखंड में अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने, जिसकी वजह से भारी मात्रा में जान–माल की क्षति हुई तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री ने यह इच्छा व्यक्त की है कि मंत्रालय/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के लोक उद्यम उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य उस क्षेत्र में उनके सीएसआर और संपोषणीयता कार्यकलापों के अंतर्गत ऐसी परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान उत्तराखंड में शुरू की गई राहत और पुनर्वास परियोजनाओं को पिछड़े क्षेत्र की परियोजनाओं के रूप में मानना होगा और वे एमओयू मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए भी मानी जाएगी। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं/विपदा के लिए नियत सीएसआर तथा सम्पोषणीयता कार्यकलापों के लिए वार्षिक बजट की 5 से 10% की सीमा में इस प्रयोजन के लिए छूट दी जाएगी तथा संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निदेशक मंडल इस पर अधिक राशि खर्च करने के लिए उपयुक्त निर्णय ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री राहत कोष/अथवा राष्ट्रीय विपदा प्रबंध प्राधिकरण के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा दिए गए अंशदान को वैध सीएसआर और सम्पोषणीयता कार्यकलापों के रूप में गिना जाएगा। कृपया इसको अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाए।

**(डीपीई का. ज्ञा. सं. 15(9)/2013–डीपीई(जीएम), दिनांकः 24 जून, 2013)**

******